न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 131/2025 बउनवानी धर्मपाल महावर बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर पुत्र श्री रूपचन्द महावर निवासी ब्रहपुरी मोहल्ला गुरूद्वार के पास शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 288

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " *जिला कलेक्ट्रेट परिसर मे स्वीकृत स्टाम्प विक्रेता श्री रामहेत माली द्वारा दिनांक 10.7.2025 तथा दिनांक 11.7.2025 तथा दिनांक 14.7.2025 को विक्रय किये गये सौ रूपये के स्टाम्प के विवरण संबंधी रजिस्टर एवं उक्त दिनांक को 100/–रू के कितने स्टॉम्प का स्टॉक था की प्रमाणित सूचना।* " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ.13(02)(106)/सूकाअ/2025/1170 दिनांक 1.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर से होने के कारण अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र अधिनिमय की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 864 दिनांक 21.7.2025 से कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया गया जिसको कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पत्रांक/स्टाम्प/कोष/2025/373 दिनांक 28.7.2025 से उप पंजीयक सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाने पर उप पंजीयक सवाईमाधोपुर के द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 452 दिनांक 14.8.2025 से अवगत कराया कि चाही गयी सूचना उप पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी जो नही करवायी गयी है। अतः कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना संबंधित स्टॉम्प विक्रेता से प्राप्त की जाकर अपीलान्ट को 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निरस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner